

पारस नाथ एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट



पारस नाथ महाविद्यालय

ग्राम:- जंगल घोरठ पो० कुबेरस्थान जि० कुशीनगर

मो. 9648889000 • 9889915176

E-mail: pnmcollege@gmail.com

BBAG

तुर्कपट्टी - तमकुही मार्ग से नुनियापट्टी चौराहा से 3 किमी. उत्तर घोरठ - दुदही मार्ग पर स्थित है।



राधेश्याम पाण्डेय
प्रबन्धक

प्रवेश विवरणिका एवं मार्गनिर्देशिका



श्रीमती रेनू पाण्डेय
द्विती

हमारे प्रेरणा स्रोत



स्व० पारसनाथ पाण्डेय



प्रबन्धक:
राधेश्याम पाण्डेय
एडवोकेट

पी० एन० महाविद्यालय एक दृष्टि में



श्रीमती रेनू पाण्डेय
ट्रस्टी

पी० एन० महाविद्यालय “पारस नाथ एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट” द्वारा संचालित एवं दी०द०उ० गो० वि० वि० गोरखपुर द्वारा सम्बद्ध ग्राम-जंगल घोरठ पो० कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर में स्थापित है।

इस महाविद्यालय के कल्पना मा. राधेश्याम पाण्डेय एडवोकेट एवं माननीय श्रीमती रेनू पाण्डेय जिला पंचायत सदस्य दुदही, कुशीनगर तथा इनके अनुज इं० विपिन कुमार पाण्डेय के मानस पटल में वर्षों से संकल्पित था अन्ततः यह संकल्पना स्व० पारस नाथ पाण्डेय जी की कर्म भूमि (ससुराल) जंगल घोरठ की धरती पर निजी श्रोतो से वगैर सरकारी गैर सरकारी सहायता से साकार हुई है।

इस महाविद्यालय के स्थापना के पीछे स्व० पारस नाथ पाण्डेय जी की सोच है, जो कहा करते थे की “एक गरीब अपना भविष्य शिक्षा से बदल सकता है” मूल्यों के विघटन के इस दौर में यह महाविद्यालय ग्रामीणंचल का चतुर्दिक विकास करेगा तथा क्षेत्र के युवकों में शैक्षणिक, बौद्धिक मूल्यपरक एवं उत्तम संस्कारों की शिक्षा प्रदान करेगा।

इस ग्रामीण अंचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मूल्यपरकता, वैश्विक स्तर के शोधादि से क्षेत्र एवं छात्रों को परिचित कराना इस संस्थान का उद्देश्य है। इस महाविद्यालय का उद्देश्य संक्रमण के दौर से गुजर रही मानवता को पुर्नजीवित करना है। पी० एन० महाविद्यालय की उत्तम शिक्षा व्यवस्था से इस पिछड़े अंचल को एक नई दिशा एवं शिक्षा मिलेगी। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।

इस महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, एवं गृहविज्ञान के अलावा वाणिज्य संकाय की भी सम्बद्धता प्राप्त हुई है।



सलाहकार

ई. विपिन कुमार पाण्डेय

संदेश

इस महाविद्यालय में सुयोग्य शिक्षकों द्वारा विषयों के अध्यापन के साथ छात्र-छात्राओं के अन्दर समाज सेवा के प्रति उत्साह, शारीरिक श्रम का भाव, राष्ट्रीय कार्यों के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम, समय-समय पर शैक्षणिक पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यों के प्रति अनुराग एवं कुशल व्यक्तित्व का विकास करना हैं शारीरिक सौष्ठन एवं वलिष्ठता हेतु समय-समय पर खेल-कूद एवं योगादि क्रिया-कलापों का भी आयोजन किया जायगा।

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से संघर्ष एवं समाधान के लिये मानसिक स्तर पर तैयार किया जायेगा।

प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित होंगी। इन संगोष्ठियों से छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के बौद्धिक स्तर का विकास होगा। विशेषज्ञों द्वारा उच्च स्तरीय व्याख्यान भी आयोजित किये जायेंगे। संगोष्ठियों का लक्ष्य छात्र-छात्राओं में समाज के प्रति सकारात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना होगा। प्रतिवर्ष महाविद्यालय में एक उच्च स्तरीय पत्रिका का प्रकाशन होगा जिसमें छात्र-छात्राओं शिक्षकों एवं रचनाकारों के आलेख प्रकाशित होंगे। महाविद्यालय भारतीय मान्यताओं, एवं परिवर्तन हेतु अनुकूल वातावरण का निमार्ण करेगी।

यह संस्था प्रतियोगी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु एक अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। जिससे समय-समय पर छात्र-छात्राओं की कठिनाइयों का समाधान हो सकेगा।

संस्था में एक नियंता मण्डल होगा जो महाविद्यालय के अनुशासनिक व्यवस्थाओं को सुनियोजित करेगा। आने वाले दिनों में इस संस्था में स्नातकोत्तर एवं विज्ञान की कक्षाएं भी संचालित करने का प्रयास होगा।

आशा है छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक इस उच्च शिक्षा के केन्द्र को एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो क्षेत्र, प्रांत, देश एवं विश्व में अपनी आलोकमयी किरणों से प्रकाश बिखरेगा।

विपिन कुमार पाण्डेय

विपिन कुमार पाण्डेय

आवश्यक सामान्य सूचना

- 1- अभ्यर्थी को चाहिए कि वो इस विवरणिका को पढ़कर सभी नियमों से अवगत हो जाएं, और तदनुसार ही प्रवेश-आवेदन पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लेखित नियमों का परिपालन आवश्यक होगा।
- 2- बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा अर्थात् इण्टर की स्थायी अंक-पत्र ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थायी अंक- पत्र नहीं।
- 3- सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के कार्यालय काउन्टर पर जमा किय जायेंगे। अधिकृत व्यक्ति जो महाविद्यालय से सम्बन्धित हो उसे शुल्क दें।
- 4- महाविद्यालय में छात्र-छात्रों द्वारा जमा किया गया किसी भी तरह का शुल्क वापस नहीं होगा।
- 5- महाविद्यालय के किसी भी उपकरण की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का देय सम्बन्धित छात्र-छात्राओं की होगी।
- 6- महाविद्यालय परिसर में संस्थागत विद्यार्थियों के अलावा बिना कारणों के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे किसी अतिरिक्त असम्बद्ध अथवा वाह्य व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिये उत्तरदायी किसी संस्थागत छात्र-छात्रा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 7- महाविद्यालय की विवरणिका में दिये नियमों एवं विधि प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने का समस्त अधिकार प्रबन्धक-प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

समय सारिणी

समय सारिणी के अन्तर्गत 9.00 बजे से 4.00 बजे के बीच किसी भी विषय को पढ़ाया जा सकता है। घोषित पीरियड/टाइम टेबुल में भी आवश्यक होने पर सत्र के अन्दर किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

पाठ्य विषय

यह महाविद्यालय दी० द० उ० गो० वि० गोरखपुर की सम्बद्धता में निम्नलिखित परीक्षाओं और उपाधियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है।

(क) स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिसके लिए निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का बी०ए० प्रथम वर्ष में चयन किया जाय परन्तु एक वर्ग से केवल एक ही विषय चुना जा सकता है-

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| 1- हिन्दी | 2- अंग्रेजी | 3- शिक्षाशास्त्र | 4- समाजशास्त्र |
| 5- राजनीतिशास्त्र | 6- भूगोल | 7- गृहविज्ञान | |

(ख) स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

परीक्षा शुल्क

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्धारित शुल्क

टिप्पणी: आवश्यकता पड़ने पर शुल्क तालिका में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

- 1- प्रवेशार्थियों को निर्धारित छात्र संख्या (उपलब्ध सीटों) के अन्दर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 2- महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी प्रार्थी का प्रवेश की मांग नहीं कर सकता है चाहे वह प्रवेश के लिए हर प्रकार से योग्य क्यों न हो।
- 3- प्रथमतः महाविद्यालय में सभी प्रार्थियों का प्रवेश अस्थायी होगा प्रवेश की तिथि से चार माह के अन्दर कभी भी निरस्त किया जा सकेगा। कोई भी संस्थागत छात्र/ छात्रा सम्बन्धित सत्र ३० जून तक ही बोनाफाईड विद्यार्थी माना जायेगा।
- 4- सूचना पट्ट से प्रवेश सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा।
- 5- प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
- 6- वह छात्र जो अनुचित साधन के प्रयोग में दण्डित हुआ अथवा विश्वविद्यालय में उसका नाम काली सूची

में है अथवा उस पर किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा विचाराधीन है अथवा जिनका गत वर्ष प्रवेश आवेदन-पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत निरस्त कर दिया हैं, उनका भी प्रवेश नहीं हो सकेगा। यदि वास्तविकता को छिपाकर छात्र प्रवेश ले लिया है और प्रशासन के संज्ञान में वास्तविकता आ गया है तो ऐसे छात्र का प्रवेश भी निरस्त कर दिया जायेगा।

- 7- कोई भी छात्र किसी एक कक्षा में एक वर्ष (सत्र) तक ही संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन कर सकता है।
- 8- किसी भी समय असत्य विवरण देने पर या अमर्यादित व्यवहार करने पर छात्र को महाविद्यालय स निष्कासित किया जा सकता है।
- 9- अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश में आरक्षण उ० प्र० शासन/दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नियमानुसार लागू होगा।
- 11- प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को अवश्य संलग्न किया जाये:-
 - (अ) हाईस्कूल अंकतालिका एवं सनद की छायाप्रतियां।
 - (ब) इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं सनद की छायाप्रतियां।
 - (स) आचरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो छः माह से अधिक का न हो।
 - (द) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र होने पर जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - (य) अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र अथवा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।
 - (र) आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट आकार का एक फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

नोट:- उक्त नियमों को परिवर्तन करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

परिचय-पत्र

- 1- महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्राओं के पास परिचय-पत्र होना आवश्यक है।
- 2- परिचय-पत्र के बिना महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश वर्जित है।
- 3- परिचय-पत्र खो जाने के स्थिति में महाविद्यालय के कार्यालय में रु० 50 जमा करने पर द्वितीय प्रतिलिप प्राप्त किया जा सकता है।

साईकिल स्टैण्ड

सभी विद्यार्थी अपनी साईकिल स्टैण्ड में ही जमा करें। अन्य स्थान पर रखने पर अगर खो जाता है तो महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

अनुशासन सम्बंधित व्यवस्था

1. महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्राओं की गतिविधियाँ पर निगरानी रखने और अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक नियन्ता मण्डल या प्राक्टोरियल बोर्ड गठित है।
2. नियन्ता मण्डल द्वारा दी गयी सूचनाओं और निर्देशों का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

विषय परिवर्तन

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपना विषय सावधानी से चुनें। नियमतः एक बार चुने गये विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में उचित कारण प्रस्तुत करने पर प्रवेश समिति की संस्तुति पर लेखा विभाग में रु० 100-00 जमा करने के पश्चात् प्राचार्य द्वारा विषय परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु इस आशय का प्रार्थना - पत्र 31 अक्टूबर तक कार्यालय में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद इस प्रकार के किसी भी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति

राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न छात्रवृत्ति नियमानुसार देय होगी।

पुस्तकालय व्यवस्था

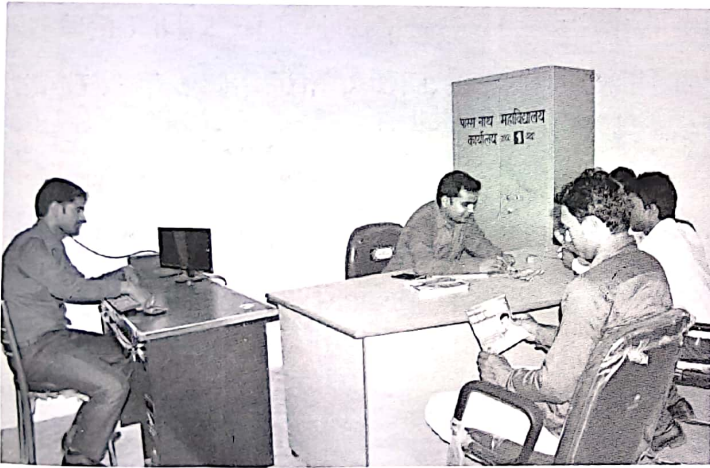
महाविद्यालय में एक अत्यन्त समृद्ध व सुसज्जित पुस्तकालय है जिसमें महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं के विशाल संग्रह के साथ ही साहित्य, धर्म, संस्कृति एवं न्याय विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों का भी संग्रह है।



क्रीडासंकुल

छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण के साथ-साथ खेल-कूद के लिए भी व्यवस्था है।

कार्यालय समय



प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय में कार्यालय का समय प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक और अपराह्न 02:30 बजे से सायं 04:00 बजे तक होगा।

गृहविज्ञान प्रयोगशाला

महाविद्यालय के अन्तर्गत स्थित गृहविज्ञान प्रयोगशाला में प्रायोगिक परीक्षा हेतु छात्राओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करती शिक्षिका सहित महाविद्यालय परिवार।



समारोह

01

महाविद्यालय में मुख्य समारोह/उत्सव आयोजित किये जायेंगे, प्रत्येक छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समारोह/उत्सव में समय से अवश्य उपस्थित होंगे।

सहयोग

महाविद्यालय की स्थापना हेतु संसाधनों की अत्यन्त आवश्यकता है। गणमान्य नागरिकों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा महाविद्यालय परिवार को है, ताकि महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके।



पारस नाथ महाविद्यालय

ब्राम:- जंलत घोरठ पो० कुबेरस्थान जि० कुशीनगर

मो. 9648889000 • 9889915176

E-mail: pnmcollege@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

राधेश्याम पाण्डेय निवास, पटखौली मोड़,
फाजिलनगर, कुशीनगर